वर्ष 4, अंक 72

राष्ट्र महिला

अक्टूबर 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए इस निर्णय ने कि 15 वर्ष की लड़की का विवाह कानूनन वैध माना जायेगा बशर्ते कि उसने यह स्वयं अपनी मर्जी से किया हो, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं को अत्यंत उद्विग्न कर दिया है। महिला संगठनों को भय है कि इससे बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा और लड़कियों का विकास अवरुद्ध हो जाने के फलस्वरूप जो बुराइयां पनपती हैं वे प्रकट होंगी।

न्यायालय ने कहा है कि 15 वर्ष की लड़की के बारे में कहा जा सकता है कि उसने "स्वविवेक की आयु" प्राप्त कर ली है और अपनी मर्जी से किया गया उसका कोई भी विवाह "वैध, प्रवर्तनीय और न्यायालयों में मान्य होगा।"

न्यायालय ऐसे मामलों पर विचार कर रहा था जहां नाबालिग लड़कियां किसी के साथ भाग गयी थीं और माँ-बाप द्वारा संबंधित व्यक्तियों पर उन्हें अगुवा करने का आरोप लगाया गया था। चूंकि लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित है, इसलिए जिन पुरुषों के साथ ये लड़कियां भागी थीं उनके सामने कड़ी कानूनी सज़ा का खतरा था जिसमें कानूनी बलात्कार का आरोप भी शामिल है।

दो लड़कियों के "प्रेमियों" के विरुद्ध विचाराधीन आपराधिक मामलों को रद्द करते हुए, खंडपीठ ने कहा कि ये उदाहरण इन दोनों सूक्तियों को "यथेष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं" कि "प्रेम अन्धा होता है" और "प्रेम तथा युद्ध में सब वाजिब है।" उन्होंने फ्रांसिस बेकन से भी उद्धरण दिया कि "यह नहीं हो सकता कि आप भी प्रेम करें और बुद्धिमान भी रहें।"

यह निर्णय बाल विवाह को बढ़ावा देने के अतिरिक्त से ऐसे मामलों पर भी दूरगामी प्रभाव

चर्चा में — उच्च न्यायालय का निर्णय

डाल सकता है जहां नाबालिग लड़कियां अपनी पसंद के पुरुषों क साथ भाग जाती हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि इन मामलों में लड़कियों को अपनी इच्छा के विरुद्ध रिमांड होम में नहीं रखा जाना चाहिए अपितु पति के घर भेज दिया जाना चाहिए।

यह एक विडंबना ही है, क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम कम उम्र, अपरिपक्व लड़कियों को मातृत्व के खतरे से बचाने के लिए उन्हें पर्याप्त शिक्षा तथा पोषण दिए जाने एवं वैवाहिक बंधन में प्रविष्ट होने से पूर्व मानसिक और शारीरिक विकास आश्वस्त करने के प्रयोजन से पारित किया गया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हाल ही में यौन उत्पीड़न विधेयक 2005 पर आयोजित परामर्श में सम्मिलित स्तब्ध रह गये महिला संगठनों द्वारा पास किया गया वह संकल्प न्यायोचित है जिसमें न्यायपालिका के निर्णय की आलोचना की गयी है। जहां तक आयोग का संबंध है, आयोग ने निर्णय लिया है कि वह उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करेगा क्योंकि इससे विद्यमान विवाह अधिनियम, जिसके अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष है, अमान्य अथवा प्रभावहीन हो गया है।

इसमें संदेह की बात नहीं है कि देश में मातृत्व एवं बाल मृत्यु की ऊंची दर का और महिलाओं की शिक्षा तथा सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण बाल विवाह है।

इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन न हो और विवाह की न्यूनतम आयु न घटाई जाये। इस न्यायनिर्णय के फलस्वरूप, कानून के उल्लंघन की एक गलत परम्परा का जन्म होगा तथा बाल विवाह को वैध बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकेगा।

एचआईवी/एड्स का मुकाबला करने पर सम्मेलन

हाल ही में 'मैत्री' नामक एक गैर-सरकारी संगठन तथा असम राइफल्स के 'पत्नी कल्याण संघ' द्वारा संयुक्त रूप से शिलांग में एक दो-दिवसीय सम्मेलन 'एचआईवी/एड्स का मुकाबला : समरूप हस्तक्षेप' विषय पर आयोजित किया गया।

प्रमुख सम्बोधन में राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने इस विश्वव्यापी महामारी पर काबू पाने के औचित्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने श्रोताओं को आयोग द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों से अवगत कराया और बताया कि वहां एचआईवी/एड्स ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है। सदस्या नीवा कंवर ने भी श्रोताओं को सम्बोधित किया।

डॉ. गिरिजा व्यास सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए

कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी कानून शीघ्र आयेगा

उच्चतम न्यायालय द्वारा 1997 में विशाखा मामले में दिए गए मार्ग-निर्देशों के आधार पर, राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न को रोकने वाले एक विधेयक के मसौदे में संशोधन कर उसे अंतिम रूप दे रहा है।

"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक-2005" का मसौदा केन्द्र को भेजा गया था, किन्तु उसमें कुछ परिवर्तनों के सुझाव सहित वह वापस कर दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग को गैर-सरकारी संगठनों की राय मांगने का सुझाव दिया गया। आयोग ने महिला संगठनों के विचार जानने के लिए एक दो-दिवसीय परामर्श आयोजित किया। उनके सुझावों को विधेयक के मसौदे में शामिल करने के बाद, आयोग परिवर्तित मसौदा केन्द्र को भेजेगा।

परामर्श में दिए गये कुछ सुझाव थे विधेयक के शीर्षक में शब्द "कार्यस्थल" शामिल किया जाना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा पालनों को शैक्षिक संस्थाओं के अंतर्गत लाना और कानून को 50 कामगारों वाली संस्थाओं के बजाय 20 कामगारों वाली संस्थाओं पर लागू करना। यह भी कहा गया कि पीड़िता को सीधे प्रस्तावित शिकायत समिति से शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए बजाय इसके कि वह वर्तमान मसौदे में प्रस्तावित विभिन्न चरणों के माध्यम से होकर वहां पहुंचे।

विधेयक में कार्यस्थलों पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है और असंगठित क्षेत्र को भी शामिल किया गया है जहां बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। यह सभी क्षेत्रों की महिलाओं पर लागू होगा - जिनका काम नियमित आधार पर नहीं है, जेलों में बंद महिलाएं और उपभोक्ता भी। अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए इसमें विभिन्न विभागों, संस्थाओं और संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों और शीर्ष शिकायत समिति की स्थापना की तथा जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर स्थानीय समितियों की स्थापना की सिफारिश की गयी है ताकि उत्पीड़न की स्थिति में सभी कार्यरत महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने का अवसर प्राप्त हो।

परामर्श को सम्बोधित करते हुए डॉ. गिरिजा व्यास। मंच पर विराजमान हैं सुश्री नीवा कंवर, सुश्री निर्मला वेंकटेश, सुश्री इंदिरा जयसिंह, सुश्री यास्मीन अब्रार, सुश्री सुशीला तिरिया (बीच में) सुश्री रेनुका चौधरी, सुश्री बिन्द्रा करात, सुश्री रेवा नैय्यर (नीचे) श्रोतागण।

राष्ट्रीय महिला आयोग की विवाहों के पंजीकरण की योजना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाहों के पंजीकरण किए जाने संबंधी एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है जो सभी धर्मों तथा क्षेत्रों पर लागू होगा। इससे द्विविवाह, बाल विवाह तथा महिलाओ के अनैतिक व्यापार पर रोक लगेगी। "विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक" का मसौदा, गैर-सरकारी संगठनों तथा विशेषज्ञों से परामर्श करके उसमें आवश्यक सुधार करने के पश्चात सरकार को विचारार्थ भेजा जायेगा। पहला परामर्श हाल ही में दिल्ली में हुए था।

धार्मिक नेताओं से भी विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है क्योंकि, उदाहरणार्थ, मुस्लिम और ईसाई अपने वैयक्तिक कानूनों का पालन करने पर जोर देते हैं। विधेयक में चार-स्तरीय ढांचा प्रस्तावित किया गया है - केन्द्र में एक महा-पंजीयक (विवाह), राज्यों में मुख्य पंजीयक, जिलों में जिला पंजीयक और नगरपालिका, पंचायत अथवा अन्य स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्राधिकारी।

दम्पत्ति द्वारा आयु के प्रमाण सहित विवाह का स्मृति-पत्र दिए जाने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात, पंजीयक विवाह के पक्के सबूत के रूप में एक प्रमाण-पत्र दे देगा। विवाह के बाद यदि निर्धारित 30 दिन के भीतर स्मृति-पत्र पेश नहीं किया गया तो 2 रुपये प्रति दिन का दंड और 500 रुपये जुर्माना भरना होगा।

यदि दी गयी सूचना अधूरी है, दूल्हा और दुल्हन क्रमशः 21 और 18 वर्ष से कम आयु के हैं या दोनों पक्षों में से कोई पहले से विवाहित है और उसका पति/पत्नी जीवित है, तो पंजीकरण नहीं किया जायेगा। अधिनियम के अंतर्गत रखा जाने वाला विवाह-रजिस्टर और सूचकांक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। रजिस्टर से कोई साक्ष्य मिटाने, हेरफेर करने या बेईमानी से बदलने पर पाँच वर्ष तक की सजा और/या 5000 रुपये जुर्माना भोगना पड़ेगा। स्मृति-पत्र में गलत सूचना देने पर, इतना ही जुर्माना और दो मास की सजा प्रस्तावित की गयी है।

बैठक को सम्बोधित करते हुए डॉ. मोहिनी गिरि। बायें से बैठे हुए हैं श्री एन.पी. गुप्ता, सुश्री सुशीला तिरिया, सुश्री यास्मीन अब्रार, सुश्री निर्मला वेंकटेश और सुश्री मालिनी भट्टाचार्य।

प्रवासी कामगारों पर कार्यशाला

आयोग की उप-सचिव सुश्री गुरप्रीत देव ने हाल ही में चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा ग्रामीण एवं शहरी शोध केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से 'प्रवासी कामगारों के अधिकारों का संरक्षण' विधेयक पर आयोजित दो-दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला में पंजाब, केरल तथा अन्य एशियाई प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार किया गया।

सुश्री देव ने 'रोजगार के लिए प्रवास' पर अपने विचार प्रस्तुत किए जिनमें गैर-निवासी भारतीयों के साथ विवाहित महिलाओं के सम्मुख आने वाली समस्याओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।

आयोग का कर्नाटक का राजकीय दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, सदस्य तथा सदस्य-सचिव कर्नाटक के दो-दिवसीय राजकीय दौरे पर गये और वहां के मुख्य सचिव, पुलिस महा-निदेशक, महिला और बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। आयोग ने राज्य सरकार से परिवार न्यायालयों में सुधार लाने का आग्रह किया। इस संबंध में उसने प्राधिकारियों को तीन मास का समय दिया है और यह सुझाव भी दिया है कि राज्य महिला आयोग के लिए किए गये 60 लाख रुपये के आवंटन को बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाये।

दहेज मृत्यु के आरोप के दोषियों पर मुकदमा चलाने में पुलिस की लापरवाही पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने कहा कि महिलाओं तथा बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा तेजी से बढ़ रही है। गत वर्ष, घरेलू हिंसा के 1551 मामले दर्ज किए गये।

पुलिस महा-निदेशक ने वायदा किया कि एक मास के अन्दर सभी पुलिस थानों पर महिला डेस्कों की स्थापना की जायेगी। महिला बन्दियों के शीघ्र मुकदमों के लिए, राज्य सरकार जेलों के निकट विशेष न्यायालय स्थापित करने को तैयार हो गयी है। राज्य में 374 महिला बंदी हैं।

नारी भ्रूणहत्या रोकने और जन्म-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, आयोग ने राज्य सरकार से एक बहु-सदस्यीय समिति गठित करने को कहा है। जिलों में कानूनी जागरुकता कार्यक्रम और पारिवारिक महिला लोक अदालतें संगठित किए जाने चाहिए। आयोग ने महिला साक्षरता, महिला स्वयं-सहायी दलों के सदस्यों की सीधी भर्ती तथा महिला उद्यमियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को सुलझाने का सुझाव दिया।

सदस्यों के दौरे

- पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग में जिला हावड़ा न्यायालय में आयोजित पारिवारिक महिला लोक अदालत का उद्घाटन सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने किया। 70 मामलों की समीक्षा की गयी।

  तत्पश्चात्, वह असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में स्वर्ण जयंती भाषण देने गयीं और विश्वविद्यालय का महिला अध्ययन केन्द्र भी देखा। फिर, राज्य महिला आयोग में जाकर इस बात पर चर्चा की कि राष्ट्रीय महिला आयोग तथा तृणमूल कार्यकर्ताओं के संयुक्त कार्यक्रमों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है।

  जन्म-पूर्व निदान परीक्षण की राष्ट्रीय निरीक्षण तथा निगरानी समिति के एक दल की अगुवाई करते हुए वह गुजरात यह देखने गयीं कि वहां तत्संबंधी अधिनियम के कार्यान्वयन तथा उच्चतम न्यायालय के निदेशों का किस प्रकार पालन किया जा रहा है। यह दल गंगानगर, महसाना और अहमदाबाद जिलों गया और राज्य के स्वास्थ्य सचिव, महिला कल्याण सचिव तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।

- सदस्या सुशीला तिरिया के नेतृत्व में आयोग का एक दल सुश्री पूनम पांडया की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने के लिए झारखंड में दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा ताप ऊर्जा केन्द्र गया। सुश्री तिरिया ने प्रशासन से कहा है कि आरोप की तुरंत जांच की जाये और उपयुक्त नैदानिक कार्यवाई की जाये।

- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोकराझार में प्रायेजित दो-दिवसीय कानूनी जागरुकता शिविर में सदस्या नीवा कंवर ने शिरकत की। शिविर में लगभग 200 आदिवासी महिलाओं ने भाग लिया। गुवाहाटी में, वह सदस्या मालिनी भट्टाचार्य के साथ समाज कल्याण निदेशक से मिलीं और महिलाओं के कल्याण कार्यक्रमों पर चर्चा की। शिवसागर जिले में महिलाओं के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यों पर उन्होंने वहां के डिप्टी कमिश्नर के साथ चर्चा की। बाद में वह जिला जेल का मुआयना करने गयीं और सिफारिश की कि महिलाओं के लिए अधिक शौचालयों का प्रबन्ध किया जाये।

  आयोग की अध्यक्षा और सुश्री कंवर असम के गैर-सरकारी संगठनों तथा असम राज्य महिला आयोग के साथ उत्तर पूर्वी महिलाओं के लिए कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए गुवाहाटी गयीं।

  सुश्री कंवर ने शिवसागर तथा अमगुरी में कानूनी जागरुकता कार्यक्रम में भाग लिया और बाद में कामरूप जिले के गैर-सरकारी संगठनों के साथ नारी भ्रूणहत्या पर चर्चा की।

- सदस्या निर्मला वेंकटेश रिपल्ली गयीं और दलित महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक की। बाद में वह स्थानीय संसद सदस्य तथा विधायक के साथ ब्रिज स्कूल होस्टल देखने गयीं जो दलित लड़कियों के लिए चलाया जा रहा है जहां उन्हें मालूम हुआ कि वहां का चौकीदार बहुधा लड़कियों का यौन शोषण करता था। उन्होंने संसद सदस्य तथा विधायक से सतर्क रहने को कहा ताकि ऐसी घटनाएं न हों।

  सुश्री वेंकटेश ने आयोग की अध्यक्षा तथा सदस्य सचिव के साथ हैदराबाद में गैर-सरकारी संगठनों की एक बैठक में भाग लिया। बाद में उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महा-निदेशक, जेल महा-निदेशक, मुख्य गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, पुलिस महा-निदेशक (अपराध) आदि अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें पुलिस थानों पर महिला डेस्कों की स्थापना तथा सजायाफ्ताओं के बच्चों के लिए दो पृथक जेल बनाने का निर्णय लिया गया।

  तत्पश्चात्, यह दल मुख्य मंत्री से मिला और महिलाओं के लिए बजट-व्यवस्था, महिलाओं का अनैतिक व्यापार और राज्य महिला आयोग के लिए धन के आवंटन पर चर्चा की।

  सुश्री वेंकटेश बंगलौर गयीं और बी.एन. जयश्री की दहेज मृत्यु के मामले में पूछताछ की। नीना शर्मा के मामले पर चर्चा करने के लिए वह पुलिस महानिदेशक से भी मिलीं। फिर वह कोलार जिला गयीं और बलात्कार की शिकार महिला सादिका के विवाह में में भाग लिया। चेन्नई में, सुश्री वेंकटेश ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रो में सुनामी पीड़ितों के राहत और पुनर्वास पर जन-सुनवाई में भाग लिया। सदस्य सचिव श्री एन.पी. गुप्ता भी इसमें उपस्थित थे।

आयोग का सफल प्रयास

कोलार जिले की शिद्दलगाथा नगरी में एक कार में सादिका का अमजद, शहीद तथा अन्य लोगों द्वारा बलात्कार किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री निर्मला वेंकटेश ने, जिन्होंने इस मामले की जांच की थी, सादिका के भावी ससुर को विश्वास में लेकर राजी किया कि पहले से तय उसका विवाह वह सम्पन्न करें। सुश्री वेंकटेश के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, 30 सितम्बर को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच विवाह सम्पन्न हुआ। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गये हैं।

नवविवाहित दम्पत्ति के साथ सुश्री निर्मला वेंकटेश

तीन बार तलाक का उच्चारण करना काफी नहीं

केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मुस्लिम कानून के अन्तर्गत तलाक प्रभावी होने के लिए महज तीन बार 'तलाक' कह देना पर्याप्त नहीं है।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि दो मध्यस्थों द्वारा - एक पति की ओर से और दूसरा पत्नी की ओर से - मध्यस्थता का प्रयास किया जाना चाहिए और मध्यस्थता असफल होने की दशा में ही पति को अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए 'तलाक' उच्चारण करने का हक है।

To,

_____

_____

_____

_____

_____

_____

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित।

सम्पादक : गौरी सेन